प्रेस नोट दिनांक – 12.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में 15000 रुपए के इनामियां एवं थाना कोतवाली जनपद इटावा से गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को 01अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 श्री बृजेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड में 15000 रुपए के इनामियां एवं थाना कोतवाली जनपद इटावा से गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को 01अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11/12.06.2021 की रात्रि को थाना इकदिल पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग अभियान के दौरान क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि थाना कोतवाली से मु0अ0स0 599/20 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट में वाछिंत तथा 15000 का इनामी अभियुक्त कहीं जाने की फिराक में ग्वालियर बाईपास पर मानिकपुर मोड पर अवैध असलहा लिए खडा है ।

मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर पुलिस टीम को एक युवक खडा दिखाई दिया । पुलिस टीम को अपनी ओर आता हुआ देख कर अभियुक्त द्वारा मानिकपुर जाने वाली सडक पर भागने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त को घेरकर पकडने का प्रयास किया गया । अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देखकर अभियुक्त द्वारा अपने पास अवैध असलहा से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से कर दिया । पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए अभियुक्त की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से उसका नाम पता पूछने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम शकील खान पुत्र सहाबुद्दीन खान निवासी गंभ्भीरा थाना करहल जनपद मैनपुरी बताया । साथ ही उसने बताया कि वह थाना कोतवाली से मु0अ0स0 599/20 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट में वाछिंत है , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा द्वारा उक्त अभियुक्त पर 15000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जिस पर कई अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शकील खान पुत्र सहाबुद्दीन खान निवासी गंभ्भीरा थाना करहल जनपद मैनपुरी

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 166/21 धारा 307 पुलिस मुठभेड (भादवि) थाना इकदिल जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 167/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 201/19 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 48/19 धारा 41,102 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना बिछवा जनपद मैनपुरी
3. मु0अ0स0 95/19 धारा 342,392,411 भादवि थाना बेबर जनपद मैनपुरी
4. मु0अ0स0 599/20 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा

5. मु0अ0स0 166/21 धारा 307 पुलिस मुठभेड (भादवि) थाना इकदिल जनपद इटावा
6. मु0अ0स0 167/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा

<u>बरामदगी विवरणः-</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 खोखा कारतूस 315 बोर

<u>पुलिस टीम-</u> श्री जीवराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल, उ0नि0 अनुभव चौधरी, का0 एलम सिंह, का0 मंयक शर्मा, का0चा0 रविशंकर ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा